बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।

फोन सं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com

पत्रांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-04/2018-539/आ० नि० क०. दिनांक-08 मई'19

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार

विषय :- **राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगजन (ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांग एवं बहुदिव्यांग) के लिए जिला स्तरीय कमिटी** (Local Level Committee) **गठन करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगजन अधिनियम,1999 की धारा-13(2) में उल्लिखित है कि ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांग एवं बहुदिव्यांगों के पुनर्वास व देखरेख तथा कानूनी अभिभावकों की मदद करने हेतु प्रत्येक जिले में स्थानीय जिला स्तरीय कमिटी (**Local Level Committee**) का गठन किया जाना है, जिसमें तीन सदस्यीय टीम मिलकर इस कमिटी का संचालन करेगी, जिसका गठन निम्नतः प्रावधानित है :-

(1) पदेन अध्यक्ष - जिला पदाधिकारी,
(2) राष्ट्रीय न्यास से निबंधित कोई एक स्वयंसेवी संस्था व
(3) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के **Annexure-zc** (2) में उल्लिखित कोटियों मे से किसी एक कोटि का दिव्यांगजन

साथ ही, इसमें **co-opted member** बनाये जा सकते हैं, जिसमें एक सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं जिला स्तर के प्रसिद्ध अधिवक्ता रखे जा सकेंगे।

प्रावधान के अन्तर्गत आपके द्वारा जो जिला स्तरीय कमिटी (**Local Level Committee**) गठित की जायेगी, उस कमिटी को तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करने की आवश्यकता होगी, जिसमें राष्ट्रीय न्यास से जुड़े दिव्यांगजनों की समस्त समस्याओं पर सुनवाई करनी होती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने-अपने जिले में स्थानीय जिला स्तरीय कमिटी (**Local Level Committee**) को पुनर्गठित कर या गठित हो चुकी है, तो वर्ष-2018-19 में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों से सम्बन्धित सूचना राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
08.05.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-04/2018-539/आ० नि० क० दिनांक-08 मई'19

प्रतिलिपिः-सभी जिले के सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण-सह-सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.05.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

कृ0पृ030.............

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-04/2018-539/आ0 नि0 को0 दिनांक-08 मई'19

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव-सह-सी0ई0ओ0, नेशनल ट्रस्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, 16बी, बड़ा बाजार रोड, पुराना रजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.05.19

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-04/2018-539/आ0 नि0 को0 दिनांक-08 मई'19

प्रतिलिपि:-निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.05.19

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-04/2018-539/आ0 नि0 को0 दिनांक-08 मई'19

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

08.05.19

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।